<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.— 433/12 संस्थित दिनांक— 31.10.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार उम्र 34 साल
- 2. यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार उम्र 30 साल
- उ राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार उम्र 39 साल निवासीगण ग्राम पहाडपुर तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 20.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 323/34, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.10.2012 को सुबह 10:00 करीब ग्राम पहाडपुर में अंगूरी बाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व अंगूरी बाई व उसके पित हरबन को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में हरबान सिह के साथ डंडों से व अंगूरी बाई को धारदार हथियार हिसया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2012 सुबह 10:00 बजे फरियादी अंगूरी बाई अपने खेत पर गई थी तभी वहा यशपाल, शंकर सिंह व राजकुमारी आ गये और बोले कि तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों कि है, जब फरियादी ने कहा कि तुमने

मुझे पीटा था इसलिए रिपार्ट की है इसी बात पर से तीनों अभियुक्तगण गालिया देने लगे और झगडा करने पर उतारू हो गये, इतने में फरियादी का पित हरबान आया तो उसे भी अभियुक्त यशपाल ने डन्डा मारा जो दाहिने तरफ की पसली में लगा जिससे मुन्दी चोट आई, जब फरियादी अंगूरी बाई बचाने लगी तो राजकुमारी हाथ में हिसया लिये थी, जो उसने सिर में मारा जिससे सिर में लगा जिससे खून निकल आया। मौके पर सरोज, जहार सिंह थे।

- 03— फरियादी अंगूरी बाई अपने पित के साथ घटना दिनांक 09.10.2012 को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक कमांक—638 / 12 अंतर्गत 323, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। फरियादी अंगूरी बाई व हरबान सिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी अंगूरी बाई को सिर में चोट होना व हरबान सिंह को मून्दी चोट की उपहित पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध अपराध कमांक—338 / 12 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 504, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.03.17 को अंगूरी बाई (अ०सा० 1) व हरबान सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द०प्र०स० के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा०द०वि० की धारा 294, 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा०द०वि० की धारा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.10.2012 को सुबह 10:00 करीब ग्राम पहाडपुर में अंगूरी बाई के खेत पर अंगूरी बाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार हसिया से अंगूरी बाई को स्वेच्छया उपहित कारित की।?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण में हरबन सिंह (अ०सा० 1) व फरियादी अंगूरी बाई (अ०सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये। फरियादी अंगूरी बाई (अ०सा० 2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि पांच वर्ष पूर्व घटना दिपावली के आसपास की है, सुबह के समय खेत पर आरोपीगण से उसके पित का विवाद हो गया था इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण पूर्व में रिपोर्ट के कारण उसके पित के साथ गाली गलौच कर रहे थे। जिस पर वह भी वहां पहुची थी और अपने पित को साथ लेकर वहा से चली आई थी। इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण से उसका कोई विवाद नही हुआ तथा घटना के बाद वह अपने पित के साथ थाने पर रिपोर्ट करने आई थी।
- 07— फरियादिया अंगूरी बाई (अ०सा० 2) प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करती है। परन्तु इस साक्षी का कहना है कि प्र०पी० 1 में क्या लिखा है, उसे पता नही है। अंगूरी बाई (अ०सा० 2) अपने मुख्य परीक्षण में अपने पति से अभियुक्तगण का विवाद होना बताती है तथा अपने साथ घटना में आरोपीगण का कोई विवाद न होना बताती है। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार विवाद की शुरूआत अंगूरी बाई (अ०सा० 2) से हुई थी तथा बीच बचाव करने उसका पति आया था। अंगूरी बाई ने घटना में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये है। फरियादी जो कि स्वयं आहत होकर घटना में फरियादी है, आरोपीगण से स्वयं का कोई विवाद ही न होना बताती है। अतः फरियादी अंगूरी बाई (अ०सा० 2) के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा लेख बद्ध करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथपि० 1 में वर्णित घटना से मेल नहीं खाते।
- 08— घटना में अन्य आहत अंगूरी बाई (अ०सा० 2) का पित हरबन सिंह (अ०सा० 1) भी फिरयादी के कथनों के सामान ही अपने न्यायालीन कथनों में आरोपीगण का अपने साथ विवाद होना बताता है तथा इस साक्षी का यह कहना है कि आरोपीगण ने उसकी पितन को भी गालिया दी थी। हरबन सिंह (अ०सा० 1) जो कि घटना में मुख्य साक्षी होकर आहत भी है अभियोजन कहानी के विपरीत अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि घटना में कोई मारपीट नही हुई थी, केवल मुंहवाद हुआ था तथा मुंहवाद की रिपोर्ट ही उसकी पत्नी ने थाने पर की थी। आरोपीगण ने फिरयादी तथा उसके पित के साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की इस संबंध में अंगूरी बाई (अ०सा० 2) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये हैं।
- 09— फरियादी अंगूरी बाई (अ0सा0 2) एवं हरबन सिंह (अ0सा0 1) के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की ओर से इन दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु अंगूरी बाई (अ0सा0 2) व हरबन सिंह (अ0सा0 1) ने अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा ये दोनों ही साक्षी राजकुमारी के द्वारा अंगूरी बाई को हिसये से सिर पर उपहित कारित करने की घटना से

(4)

इन्कार करते हैं, इन दोनों ही साक्षियों के अनुसार अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा थाने जाते समय मोटरसाईकिल से गिरने से उन्हें चोटें आई थी। अत यदि फरियादी के द्वारा ही इस बात की पुष्टि नहीं कि गई कि राजकुमारी ने उसे हिसये से सिर पर उपहित कारित की थी तथा दोनों ही साक्षी घटना में केवल मुंहवाद होना बताते हैं एवं चोटें मोटरसाइकिल से गिरने से आना बताते हैं तो इन साक्षियों के उपरोक्त कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 10— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध के लिये अभैयाजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु इस प्रकरण में अभियोजन के मुख्य साक्षी एवं घटना में आहत बताये गये फरियादी अंगूरी बाई (अ०सा० 2) व हरबन सिंह (अ०सा० 1) के द्वारा अभियोजन घ ाटना के विरूद्ध स्वयं के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना एवं घटना में स्वयं को चोट आने का खण्डन करने से अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 09.10.2012 को सुबह 10:00 करीब ग्राम पहाडपुर में अंगूरी बाई के खेत पर अंगूरी बाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार हिसया से अंगूरी बाई को स्वेच्छया उपहित कारित की थी।
- 11— फलस्वरूप अभियुक्तगण शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार, यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार, राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार के विरूद्ध भा0दं०वि० की धारा 324/34के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार, यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार, राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार को भा0दं०वि० की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— अभियुक्तगण शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार, यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार, राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य हीन होने से नष्ट कि जावे व अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)